

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

भविष्य निधि कार्यालय के समीप

अरेरा हिल्स(हिन्दुस्तान पेट्रोल पम्प के पास) भोपाल

फोन नं 0755-2555726 फैक्स नं.-0755-2552899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2021-22/ 7566
प्रति,

भोपाल, दिनांक 08/07/2021

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत-समस्त,
मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत-समस्त,
मध्यप्रदेश।

विषय :- वाहन किराया भत्ता हेतु बजट आवंटन जारी करने बाबत।


सन्दर्भ:- म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-2-1-13
/22/पं.-1/21 भोपाल दिनांक 25.06.2021।

—00—

कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन हो,जिसके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए गठित जिला एवं जनपद पंचायत की प्रशासकीय समितियों के प्रधान को वाहन किराया भत्ता भुगतान संबंधी आदेश जारी किये गये हैं।

अतः आप प्रशासकीय समितियों के गठन दिनांक से आयोजित की गयी बैठकों की जानकारी तत्काल संचालनालय को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें,जिससे आपको मांग अनुसार वाहन किराया भत्ते के भुगतान हेतु आवंटन उपलब्ध कराया जा सकें।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार आदेश
एवं पत्रक छायाप्रति


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/पं.रा/बजट/सर्वर/2021-22/ 7567
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 08/07/2021

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, पं.ग्रा.वि. विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त, संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. समस्त, कलेक्टर, जिला, मध्यप्रदेश।
4. निज सहायक आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय म.प्र. भोपाल।
की ओर सूचनार्थ।


संयुक्त संचालक(वित्त)
पंचायत राज संचालनालय
मध्यप्रदेश

म.प्र. शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

-: आदेश :-

भोपाल, दिनांक 25.06.2021

क्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं.-1/2/विभाग के आदेश क्रमांक एफ-2-1/17/22/पंचा-1 दिनांक 14.08.2017 द्वारा वाहन किराया भुगतान संबंधी आदेश दिये गये थे। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए गठित प्रशासकीय समितियों के प्रधान को निम्नांकित तालिका में अंकित अनुसार एक दिवस का वाहन किराया इस प्रकार निर्धारित किया जाता है :-

क्रमांक	पदाधिकारी	पंचायत	एक दिवस का वाहन किराया भत्ता
1	2	3	4
1	प्रधान	प्रशासकीय समिति जिला पंचायत	1335/-
2	प्रधान	प्रशासकीय समिति जनपद पंचायत	1170/-

2. उपरोक्त किराया एक दिवस का निर्धारित किया गया है। अतः प्रधान प्रशासकीय समिति जिला/जनपद पंचायत को जब भी जिला/जनपद पंचायत द्वारा आयोजित बैठक में बुलाया जावे, उक्त दिवस का वाहन किराया (भत्ता) उक्त दर से भुगतान किया जावे।

Smt
25/6/2021
(शोभा निकुम)

अवर सचिव,

म0प्र0 शासन


पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
भोपाल, दिनांक 25.06.2021.

0पूक्रमांक/एफ-2-1-13/22/पं.-1
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी म0प्र0 शासन, मध्यप्रदेश भोपाल।
 2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मा0 मंत्री जी/राज्यमंत्री जी मशासन 0प्र0, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
-
1. सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
 2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त विभाग की ओर सूचनार्थ।
 3. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 4. संचालक, पंचायत राज संचालनालय म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।

-2-

5. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. संभागीय आयुक्त समस्त संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
7. कलेक्टर जिला समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत समस्त म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


25/6/2021

अवर सचिव,

म0प्र0 शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग